Nothing

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 850 /खनन सहायक कौ0 दिनांक 08 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञाप

जनपद कौशाम्बी में मोरम खनन हेतु तीन नये क्षेत्रों का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	खण्ड सं0	क्षेत्रफल	मात्रा
1	कटैया	चायल	10/19 से 10/21	10हे0	75,000
2	बढ़हरी	मंझनपुर	13/15 से 13/17	11हे0	1,10,000
3	महेवा	मंझनपुर	16/4 से 16/6	10हे0	1,00,000

उक्त तीनों क्षेत्रों को जिलाधिकारी कौशाम्बी/अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17.06.2019 के अनुपालन में 21 दिनों तक पब्लिक डोमेन, जिला सूचना केन्द्र (NIC) कौशाम्बी, जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, सम्बन्धित तहसील के नोटिस बोर्ड तथा खनन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा/प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव मांगा/आमंत्रित किया गया था, जिसमें श्री लल्लन निषाद पुत्र श्री स्व0 राम धीरज निषाद ग्राम भखन्दा तहसील चायल जनपद कौशाम्बी तथा श्री मान निषाद पुत्र स्व0 केदारनाथ निषाद निवासी ग्राम भखन्दा तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया गया था।

उक्त प्रस्तुत किये गये आपत्ति/सुझाव का निस्तारण दिनांक 05.08.2019 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर किया गया कि ग्राम कटैया तहसील चायल के खण्ड संख्या 10/19 से 10/21 क्षेत्रफल 10हे0 में मात्र 75,000 घनमीटर ही मोरम खनन हेतु क्षेत्र/माइनेबल एरिया उपलब्ध है। उक्त गठित की गयी खण्ड के निचले छोर दक्षिण दिशा की ओर नदी का प्रवाह है तथा जिस जगह नदी प्रवाहित हो रही है उस स्थान से सुरक्षित दूरी छोड़ते हुये खण्ड का गठन किया गया है। साथ ही गठित खण्ड के ऊपरी छोर की ओर उत्तर दिशा की ओर भी सुरक्षित दूरी छोड़ी गयी है, ताकि नदी का कटान एवं पर्यावरण सम्बन्धित परिस्थितियां प्रभावित न हो। साथ ही यहां यह भी अवगत कराना है कि गठित की गयी खण्ड के ऊपरी किनारा (उत्तर की ओर) की तरफ उपखनिज की उपलब्धता नही है तथा अधिकांश भाग में मिट्टी तथा मिट्टी मिश्रित मोरम उपलब्ध है, जो खनन हेतु उपयुक्त नही है तथा इससे पूर्व में भी उक्त खण्ड हेतु 4 बार से अधिक क्षेत्रों का विज्ञापन किया गया था, किन्तु कोई भी टेण्डर/निविदा उक्त क्षेत्र में प्राप्त नही हो पाया था तथा अवैध मोरम खनन हेतु सम्भावना बनी रहती है। अतः उक्त खण्ड संख्या 10/19 से 10/21 क्षेत्रफल 10हे0 मात्रा 75,000 घनमीटर में मोरम खनन हेतु क्षेत्र/उपखनिज की उपलब्धता, बाजार में उपखनिज की मांग, उपखनिज की निकासी हेतु उपलब्ध मार्ग, उपखनिज की गुणवत्ता आदि को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्र का निर्धारण किया गया है।

अतः श्री लल्लन निषाद पुत्र श्री स्व0 राम धीरज निषाद ग्राम भखन्दा तहसील चायल जनपद कौशाम्बी तथा श्री मान निषाद पुत्र स्व0 केदारनाथ निषाद निवासी ग्राम भखन्दा तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/सुझाव का निस्तारण DEIAA द्वारा दिनांक 05.08.2019 को कर दिया गया है।

सदस्य–सचिव
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण

संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष (DEIAA) जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कौशाम्बी को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति कौशाम्बी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. नाजिर कलेक्ट्रेट को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त को जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला विज्ञान सूचना केन्द्र (NIC) कौशाम्बी को इस आशय के साथ कि उक्त को जनपद कौशाम्बी के (NIC) पर अपलोड़ कराये।
5. श्री लल्लन निषाद पुत्र श्री स्व0 राम धीरज निषाद ग्राम भखन्दा तहसील चायल जनपद कौशाम्बी तथा श्री मान निषाद पुत्र स्व0 केदारनाथ निषाद निवासी ग्राम भखन्दा तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि निस्तारण आख्या जिला विज्ञान केन्द्र कौशाम्बी तथा जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं खनन विभाग के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन कर सकते है।

सदस्य–सचिव
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण